

“प्ररूप 26”

(नियम 4क देखिए)



निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) 38-राजा (31-511) (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

में निरंजन कुमार \*\*पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व. वाकुलाम  
रासवान आयु 40 वर्ष, जो एकमात्र व्यक्ति, उस्ता, पो. + राजा रेखा  
निसा द्वारा, निवा

(डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

(1) मैं मैकम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया (आर्म्डलिस्ट से गैरलिस्ट) विभाग (\*\*राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(\*\*जो लागू न हो उसे काट दीजिए)

(2) मेरा नाम 38-राजा रावेन, बिहार (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं० 03 क्रम सं० 511 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं० 94304448564 है/है और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) है।

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपवर्षित कुल आय (रुपए में)
1.	स्वयं	BUMPK7670M	2021	2021
2.	पति या पत्नी	2021	2021	2021
3.	आश्रित-1	2021	2021	2021
4.	आश्रित-2	2021	2021	2021
5.	आश्रित-3	2021	2021	2021

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेंगी :-

(i) निम्नलिखित मामला(मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	दूरे भागला बट्टा सं. 88/12, 5वां विक्टर
(ख)	संबंधित अधिनियम(अधिनियमों) की धारा(धारारं) और अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	धारा-307 भाग 1
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	सीपीएम, 21/11/2014
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप(आरोपों) की विरचना की गई	सीपीएम, 21/11/2014
(ङ)	तारीख(तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	22.11.2014
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	नहीं



निम्नलिखित मामला(मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है (पूर्वोक्त मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न)

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	दूरे भागला बट्टा सं. 11070/12 2-11-14 2/12/13
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम(अधिनियमों) की धारा(धारारं) और अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है।	धारा, 307 एप भाग 1 धारा 8
(ग)	पूर्वोक्त आदेश(आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील(अपीलों)/आवेदन(आवेदनों)(यदि कोई हो) के ब्यौरे	नहीं

(6) मुझे किसी अपराध(अपराधों)(लोक प्रतिनिधित्व, अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा(1) या उपधारा(2) में निर्दिष्ट या उपधारा(3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध(अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा। :



निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष उहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यारे, अधिनियम(अधिनियमों) की धारा(धाराएं) और अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए सिद्धदोष उहराया गया है।	25-11
(ख)	न्यायालय(न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश(आदेशों) की तारीख(तारीखें)	25-11
(ग)	अधिरोपित दंड	25-11
(घ)	क्या सिद्धदोष उहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यारे और वर्तमान परिस्थिति	25-11

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों(जंगम और स्थावर आदि) के ब्यारे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आस्तियों के ब्यारे :

टिप्पणी 1-संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पणी 2-जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यारे दिए जाने हैं।

टिप्पणी 3-सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/षेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पणी 4-यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण(s) में है।

टिप्पणी 5-रकम सहित ब्यारे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।



क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	00,000/-	नहीं	25-11	25-11	25-11
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यारे(नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	कुल इसकी प्रत जमा 337281759 35 1000/रु०	25-11	25-11	25-11	25-11
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/षेरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यारे और रकम	25-11	25-11	25-11	25-11	25-11
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यारे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	25-11	25-11	25-11	25-11	25-11



(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए दैयक्तिक ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
(vii)	ज्वरात, बुलियान और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं)(भार और मूल्य के ब्यौरे)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
(ix)	समग्र कुल मूल्य	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पणी 1-संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पणी 2-प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	2.6451/100 835,91/100 100, 135 एकड़	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	2.6451	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	हां	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	598000	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध



सिद्ध



(iii)	वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	23.71	23.71	23.71	23.71	23.71
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	25.71	25.71	25.71	25.71	25.71
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	25.71	25.71	25.71	25.71	25.71
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	25.71	25.71	25.71	25.71	25.71
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	25.71	25.71	25.71	25.71	25.71
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	25.71	25.71	25.71	25.71	25.71
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	25.71	25.71	25.71	25.71	25.71
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	25.71	25.71	25.71	25.71	25.71
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	25.71	25.71	25.71	25.71	25.71
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	25.71	25.71	25.71	25.71	25.71
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	25.71	25.71	25.71	25.71	25.71
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	25.71	25.71	25.71	25.71	25.71
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	25.71	25.71	25.71	25.71	25.71
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	25.71	25.71	25.71	25.71	25.71
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	25.71	25.71	25.71	25.71	25.71
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	25.71	25.71	25.71	25.71	25.71
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	25.71	25.71	25.71	25.71	25.71
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	25.71	25.71	25.71	25.71	25.71



(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति)	25.71	25.71	25.71	25.71	25.71
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	25.71	25.71	25.71	25.71	25.71
	कोई अन्य दायित्व	25.71	25.71	25.71	25.71	25.71







4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अन्यथा को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (एम.एल.ए. के अंतर्गत) सितंबर 2015				
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	45				
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मंद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	45				
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष उहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	23-7				
7	..... का स्थायी लेखा सं०	यह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है		कुल वर्धित आय		
	(क) अन्यथा	25-7	25-7	25-7		
	(ख) पति या पत्नी	25-7	25-7	25-7		
	(ग) आश्रित	25-7	25-7	25-7		
8	आस्तियाँ और दायित्वों के ब्यौरे (रुपये में)	25-7				
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(क)	जगम आस्तियाँ (कुल मूल्य)	25-7	25-7	25-7	25-7	25-7
	पूर्वोक्त वर्धित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यक्तिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	25-7	25-7	25-7	25-7	25-7
ख	स्वावर आस्तियाँ	25-7	25-7	25-7	25-7	25-7
	i स्वअर्जित स्वावर संपत्ति की क्रय कीमत	25-7	23-7	25-7	25-7	25-7
	ii क्रय के पश्चात स्वावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	25-7	25-7	25-7	25-7	25-7
	iii निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	25-7	25-7	25-7	25-7	25-7
	क) स्वअर्जित आस्तियाँ (कुल मूल्य)	25-7	25-7	25-7	25-7	25-7
	ख) विरसती आस्तियाँ (कुल मूल्य)	25-7	25-7	25-7	25-7	25-7
9	दायित्व	25-7	25-7	25-7	25-7	25-7
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	25-7	25-7	25-7	25-7	25-7
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	25-7	25-7	25-7	25-7	25-7
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं	25-7				
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	25-7	25-7	25-7	25-7	25-7
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	25-7	25-7	25-7	25-7	25-7
11	उच्चतम शैक्षणिक अर्हता : एम.ए. (विश्वविद्यालय) 2003					
	(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय, विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)					



Handwritten signature or initials in blue ink.



# सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला नहीं है,

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

19.03.2014 को सत्यापित किया गया।

E.No- 5011/96

I know and solemnly affirm that  
I have put my signature  
in my presence  
Mahendro Pasari Singh  
19.03.2014

अभिसाक्षी

टिप्पण 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपराहन तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिष्णर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. शपथपत्र टंकित या सुपादयरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण-6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायेंह" / हैं 9420478564

मेरा ई-मेल आई०डी० (अगर कोई हो) है.....

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है.....